



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>

ई.मेल-hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2705471

क्रमांक: एफ.1(02)स्था/आकाशि/विविद्य/ 2022 / 176

दिनांक: 04-1-2023

✓ प्राचार्य,

समस्त राजकीय महाविद्यालय/कन्या महा./विद्य महा./
राज. स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर/राज. संगीत संस्थान जयपुर।
राजस्थान।

विषय:- प्राचार्य को देय विशेष भत्ते के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि पेंशन नियम 1996 के नियम 45 के अनुसार प्राचार्य को देय विशेष भत्ता, पेंशन की गणना हेतु परिलब्धियों में शामिल नहीं होता है।

अतः पेंशन प्रकरणों में उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में आयुक्तालय में इस प्रकार के प्रकरण नहीं भिजवायें।

(केसर लाल मीणा)

अतिरिक्त आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(डॉ. आर.सी. मीणा)

संयुक्त निदेशक (HRD)

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।